



केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर मुख्य आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE, CUSTOMS & SERVICE TAX

केरल क्षेत्र/KERALA ZONE

केन्द्रीय राजस्व भवन :आई.एस.प्रेस रोड :कोचिन -681 018

C.R.BUILDING:LS.PRESS ROAD:COCHIN-682 018.

व्यापार सूचना सं. 04/2006 दिनांक 03.11.2006 का शुद्धिपत्र

Corrigendum to Trade Notice No.04/2006

Dated:03.11.2006

विषय : भूतपूर्व ओट्टपालम तालुक का विभाजन द्वारा पट्टाम्बी तालुक का सृजन-व्यापार सूचना सं.4/2006 -सी.सी. दिनांक 03.11.2006 में संशोधन के लिए अनुरोध -सं ।
Sub : Creation of Pattambi Taluk by bifurcating erstwhile Ottapalam Taluk-request for amendment in Trade Notice No.4/2006-CC dated 03.11.2006 -reg.

केन्द्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क और सेवा कर मुख्य आयुक्त, केरल क्षेत्र द्वारा जारी किए गए व्यापार सूचना सं.4/2006 दिनांक 03.11.2006 के आंशिक संशोधन में, केन्द्रीय उत्पाद,सीमा शुल्क और सेवा कर केलिकट आयुक्तालय के अधीन में पालक्काड II मण्डल के ओट्टपालम रेंज के अधिकार क्षेत्र में निम्नलिखित परिवर्तन/परिवर्धन एतदधीन व्यापार के ध्यान में लाया जाता है, जो दिनांक 28.05.2013 से प्रभावी होगा ।

In partial modification of the Trade Notice No.4/2006 dated 03.11.2006 issued by the Chief Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax, Kerala Zone, the following changes/additions in the jurisdiction of Ottapalam Range of Palakkad II Division under Central Excise, Customs & Service Tax Calicut Commissionerate are brought to the notice of Trade hereunder, which would be effective from 28.05.2013.

पृष्ठ 7 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर पालक्काड II मण्डल के अधीन में ओट्टपालम रेंज के अधिकार क्षेत्र को निम्नलिखित के अनुसार पढ़ा जा सकता है:

At page No.7, the jurisdiction of Ottapalam Range under Central Excise, Customs & Service Tax Division II Palakkad may be read as under :

पालक्काड जिले के ओट्टपालम और पट्टाम्बी तालुक (सेवा कर कार्य छोड़कर) ।
The Taluks of Ottapalam and Pattambi of Palakkad District (excluding Service Tax work)

इस व्यापार सूचना की अंतर्वस्तु सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाएँ ।
The Contents of this Trade Notice may be brought to the notice of all concerned.

ह/-Sd/-

(एस.सुब्रमनियन /S.SUBRAMANIAN)

मुख्य आयुक्त/CHIEF COMMISSIONER

//अनुप्रमाणित/ATTESTED//

(के.के.सुजा/K.K.SUJA)

उप आयुक्त (मु.आ.का.)/DEPUTY COMMISSIONER(C.C.O.)

प्रेषण सूची के अनुसार /As per Mailing List.

Copy to be uploaded on website.